

संख्या- 1680 / 15-17-86-63171/86 -

प्रेषक,

श्री सूर्यकांत गोतम,  
उम लाल,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,  
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी स्कूलें,  
2/19 लाल बहादूर शास्त्री रोड,  
दरियाबाद, नई दिल्ली ।

शिक्षा [17] अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 11 जून, 1986

विषय:- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी स्कूलें, लखनऊ को अनापीत प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी स्कूलें, लखनऊ को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ सेक्रेटरी स्कूलें, नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापीत प्रमाण-पत्र दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नीकृत प्रतिक्रियाओं/अर्शों के अधीन आपीत नहीं है :-

क) सामान्य प्रतिक्रिया

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 2- विद्यालय में कम से कम 10 % स्थान पिछड़े तथा निर्बल आय वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित होंगे तथा उनके घड़ी शुल्क लिया जाएगा जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/ तैलिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित है।
- 3- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- 4- संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्माचारियों को राज्य सरकार से अनुदानित समकक्षीय विद्यालयों में अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 5- राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अनिवार्य होगा ।

6- विद्यालय का अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

ख) विशेष प्रतिबन्ध

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमा-नुसार उसका वित्तीय विवरण भी कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-कक्ष, दो शैलीयक विषय कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेंगी तथा उन्हें राज्य सरकार के सहायता-प्राप्त अक्षात्कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 4- विद्यालय का लेखा-जोखा नियमित रूपों/पीछकाओं में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों का पालन भी समय उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापीत प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

§ सतगुरु गोतम §  
उप सचिव।

संख्या- 1680 § 11/15-17-86-63 § 7/86-सदीनांक

प्रतिनिधि निम्नांकित को चुनना प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरिताल।
- 3- उप शिक्षा निदेशक, दुमराय मण्डल, मेरिताल।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सेन्ट पाल्स स्कूल, काठ्मोदाम, मेरिताल।

आज्ञा से,

21/7  
§ सतगुरु गोतम §  
उप सचिव।